न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 05/2023

1 सावित्री उम्र 84 साल पत्नी रामेश्वर दयाल
2 राजेन्द्र उम्र 42 साल पुत्री रामेश्वर दयाल
3 नन्दलाल उर्फ दयानन्द उम्र 32 साल पुत्र रामेवश्वरलाल समस्त जाति नाई निवासी डोकन तहसील पाटन जिला सीकर।
4 कौशल्या उम्र 60 साल पत्नी लीलाधर पुत्री रामेश्वरदयाल जाति नाई निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
5 शारदा उम्र 58 साल पत्नी सुरेश पुत्री रामेश्वरदयाल जाति नाई निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
6 रेणु पत्नी उम्र 40 साल अनिल पुत्री रामेश्वरदयाल जाति नाई निवासी टीबा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 सुमन उम्र 36 साल पत्नी मनोज कुमार पुत्री रामेश्वर दयाल जाति नाई निवास माउण्डा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 मिनाक्षी पत्नी मुकेश कुमार पुत्री रामेश्वरदयाल जाति नाई निवास माउण्डा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
9 निरमा उम्र 30 साल पत्नी सोनू पुत्री रामेश्वरदयाल जाति नाई निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला जयपुर।
10 ललिता उम्र 37 साल पत्नी विनोद पुत्री रामेश्वर दयाल जाति नाई निवासी डोकन तहसील पाटन जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 नरेन्द्र कुमार उम्र 55 साल पुत्र जमनाराम जाति सैनी निवासी डोकन तहसील पाटन जिला सीकर।
2 दौलत उम्र 37 साल पुत्र रामेश्वरलाल जाति सैनी निवासी डोकन तहसील पाटन जिला सीकर।
3 किशोर कुमार उम्र 64 साल पुत्र नारायण जाति सैनी निवासी डोकन तहसील पाटन जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4 दयानन्द पुत्र रामेश्वरदयाल जाति सैनी निवासी डोकन तहसील पाटन जिला सीकर।
5 भूमिधारी तहसीलदार पाटन जिला सीकर।
6 हल्का पटवारी ग्राम डोकन तहसील पाटन जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि. विरूद्ध निर्णय श्री ब्रिजेश कुमार उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, सीकर दिनांक 28.11.2022 बउनवानी प्रकरण नरेन्द्र बनाम सावित्री आदि प्रकरण सं. 123/2022 अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जिसके जरिए अपीलान्टस के खेत से रेस्पोडेन्ट सं. 1 को 101 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता दे दिया

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

उपस्थिति :
1. श्री नानूराम बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 16/4/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 123/2022 में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 717 वाके ग्राम डोकन पटवार हल्क डोकन का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विधिक प्रावधानों के मुताबिक भू–अभिलेख निरीक्षक के नीचे के अधिकारी से मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी चाहिए थी जबकि इस प्रकार में मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.2022 को बनायी गयी है जिस पर भू अभिलेख ने दिनांक 22.09.2022 के केवल हस्ताक्षर किये है दो भिन्न–भिन्न दिनांको से यह प्रतीत होता है कि भू–अभिलेख निरीक्षक मौके पर नहीं गये है। जिस व्यक्ति ने मौका रिपोर्ट तैयार की है उसने मौके पर जाने से पहले अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी। अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय में यह अभिवचन किया था कि प्रश्नगत रास्ते के विपरित दिशा से रास्ता दिये जाने पर न्यूनतम दूरी का ओर भी रास्ता अपीलान्ट के इसी खेत में से है लेकिन इस बिन्दु को मौका रिपोर्ट में छुपाकर इसे गोण कर गलत निर्णय पारित किया है। अपीलान्टस प्रश्नगत कृषि भूमि के कुल 13 खातेदार है और भूमि खसरा नम्बर 693 का रकबा 0.3156 है तथा खसरा नम्बर 703 का रकबा 0.2890 है जो बहुत ही कम क्षेत्रफल की भूमि है जो रास्ते में जाने के बाद कुछ भूमि शेष बचेगी और इसी दुश्मनी निकालने के लिए डीएलसी दर से मुआवजा दिलाकर अपीलान्ट के खेत बर्बाद किये है जबकि रास्ता देना ही था तो दोनों पक्षकारों की भूमि सींवा जोड लगती है इसलिए भूमि के बदले भूमि की मुआवजे के रूप में देकर क्षतिपूर्ति करनी चाहिए थी लेकिन ऐसा न कर गलत निर्णय पारित किया है इसलिए उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में व पूर्व के निर्णय पर दिये गये फैसले के आधार पर उस वर्ष अर्थात 2020 के वर्ष की डीएलसी दर से दिये गये मुआवजे को ही वर्ष 2022 में डीएलसी दर समान मानकर मुआवजा निश्चित किया है जबकि वर्ष 2022 में डीएलसी दर ही दूसरी है व पूर्व के फैसले के आधार पर नक्शे में तरमीम किये गये रास्ते को आधार भी बनाया है जबकि पूर्व का फैसला इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया गि। इसलिए उन्हें नया आदेश पारित करना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4 भी प्रभावित पक्षकार है लेकिन वर्तमान में अपीलान्टस के साथ अपील दायर करने के लिए उपलब्ध नहीं है इसलिए उन्हें रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 717 वाके ग्राम डोकन पटवार हल्क डोकन का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय में सर्वप्रथम आवेदन प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 13.12.2019 को आवेदन स्वीकार किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 50/2021 प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय ने अपील संख्या 50/2021 निर्णय दिनांक 07.01.2022 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमांड किया कि सभी विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित कर जवाब प्राप्त कर समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2022 को उपस्थिति देवें। विचारण न्यायालय में दिनांक 04.03.2022 को प्रकरण पुनः दर्ज कर सभी पक्षकारों की सम्यक तामील करवाई गई। विचारण न्यायालय में बावजूद तामील अनुपस्थिति रहने पर अप्रार्थी सं. 4/अपीलान्ट सं. 3 नन्दलाल के विरूद्ध दिनांक 27.06.2022 को विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 02.08.2022 को विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट चाही गई है। दिनांक 30.09.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आपत्ति का निस्तारण कर मुताबिक मौका रिपोर्ट विवेचन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि व खसरा नम्बर 692 किस्म गैर मुमकिन रास्ता के मध्य अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जिसमें से प्रार्थी ने धारा 251 ए के तहत रास्ता चाहा है। अपील न्यायालय के निर्देशों की पालना में प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना, प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का होना एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना साबित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 717 वाके ग्राम डोकन पटवार हल्क डोकन का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

विचारण न्यायालय में सर्वप्रथम आवेदन प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 13.12.2019 को आवेदन स्वीकार किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 50/2021 प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय ने अपील संख्या 50/2021 निर्णय दिनांक 07.01.2022 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमांड किया कि सभी विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित कर जवाब प्राप्त कर समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2022 को उपस्थिति देवें।

विचारण न्यायालय में दिनांक 04.03.2022 को प्रकरण पुनः दर्ज कर सभी पक्षकारों की सम्यक तामील करवाई गई। विचारण न्यायालय में बावजूद तामील अनुपस्थिति रहने पर अप्रार्थी सं. 4/अपीलान्ट सं. 3 नन्दलाल के विरूद्ध दिनांक 27.06.2022 को विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 02.08.2022 को विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट चाही गई है। दिनांक 30.09.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

इस मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आपत्ति का निस्तारण कर मुताबिक मौका रिपोर्ट विवेचन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि व खसरा नम्बर 692 किस्म गैर मुमकिन रास्ता के मध्य अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जिसमें से प्रार्थी ने धारा 251 ए के तहत रास्ता चाहा है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील न्यायालय के निर्देशों की पालना में प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना, प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का होना एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना साबित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर